भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5468

05 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए नियत

पूंजीगत वस्तु उद्योग को बढ़ावा देना

5468. श्री के. सुब्बारायण:

श्री जयंत सिन्हा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजीगत वस्तु (सीजी) क्षेत्र अभी भी मंदी की स्थिति में है और इसमें और अधिक निवेश नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सीजी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस तरह की पहलों के तहत आज की तिथि तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) लघु और मध्यम उद्यमों के (एसएमई) विनिर्माण सीजी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के तहत झारखंड में सीजी विनिर्माण एसएमई के लिए संकुल स्थापित करने हेतु कोई पहल चल रही है या नियोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : पिछले 2 कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2020 और 2021 में, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ा है।

(ख) से (घ) : पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और विनिर्माण क्षमता तथा अवसंरचना संवर्धन हेतु भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि" नामक स्कीम वर्ष 2014 में शुरु की। तदुपरान्त, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति-2016 में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को सशक्त बनाने के उपाय किए गए जिनमें पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की वृद्धि के लिए की जाने वाली पहलों को स्पष्ट किया गया है।

"भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि" स्कीम के चरण-I के अंतर्गत 583.312 करोड़ रूपए परिव्यय वाली 33 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं और पंद्रह साझा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किए गए जिनमें चार उद्योग 4.0 समर्थ केंद्र और 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच, प्रौद्योगिकी विकास के लिए आठ उत्कृष्टता केंद्र, तुमकुरु (कर्नाटक) में एक मशीन टूल पार्क शामिल हैं तथा पांच विदेशी विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया गया है।

(ङ) : "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि" स्कीम के चरण-II को 25 जनवरी,2022 को अधिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत देश के किसी भी हिस्से से उद्योग (लघु और मध्यम उद्यमों सहित) अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

***